# File No.2(74)SP/2013/V.I/

दूरभाष :01437–220177 फैक्स– +91–1437–220163
मेल –purchase.cswri@icar.gov.in

## भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
## ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE
**अविकानगर (तहसील–मालपुरा जिला टोंक) राजस्थान–304501**
**AVIKANAGAR (THE.MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN- 304501**

*Email/Registered*

क्रमांक 2(74)एसपी/2013/वो.I/ दिनांक 16.12.2020

निमित्त–

*मैसर्स चौधरी फिलिंग सेन्टर ,*
*(डिलर रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0),*
*RJF-128, फलोदी बालाजी के पास, जयपुर रोड,*
*मालपुरा जिला टोंक (राज0)–304502*

**मोबाइल नं. 9772388888, 9667120113**
**Email-**malpura.retailoutlet@jiobp.in
rambabuajmera98@gmail.com

विषय :– संस्थान के वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल, ऑयल आदि (POL) की आपूर्ति करने के अनुबंध के संबंध में।
सदर्भ :– आपके कोटेशन दिनांक 29.10.2020 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय ने आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 29.10.2020 को स्वीकार कर लिया है। अतः आपको संस्थान के समस्त वाहनों एवं ट्रेक्टरों इत्यादि के प्रचालन के लिये पेट्रोल, डीजल, ऑयल आदि (POL) की आपूर्ति करने हेतु निम्नलिखित दर एवं शर्तो पर आपूर्ति हेतु अनुबंध आदेश दिनांक 21.12.2020 से 20.12.2021 तक एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

1. आप द्वारा संस्थान की मांग के अनुसार समस्त वाहनों एवं ट्रेक्टरों इत्यादि के प्रचालन के लिये पेट्रोल, डीजल आदि (POL) की आपूर्ति प्रतिदिन की सरकारी दरों पर 20 पैसे प्रति लीटर की छूट एवं ऑयल (ल्यूब्रीकेन्ट) की आपूर्ति एमआरपी पर 20 प्रतिशत की छूट के आधार पर करनी होगी।
2. आप द्वारा आपूर्ति किये गये पेट्रोल,डीजल,ऑयल का भुगतान प्रत्येक 15 दिवसों के अन्तराल में 3 प्रतियों के साथ pre-receipted बिल (प्रत्येक) मय कूपनों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार उचित समायावधि में E-Payment के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। इस हेतु आपको बिल के साथ बैंक खाता विवरण आदि संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. आप द्वारा समस्त वाहनों एवं ट्रेक्टरों इत्यादि के प्रचालन के लिये पेट्रोल, डीजल, ऑयल आदि (POL) की आपूर्ति संस्थान की मांग के अनुसार समय पर सही मात्रा एवं शुद्वता (Quality & quantity) में करनी होगी।
4. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को उपरोक्त कार्य अनुबंध बढाने/घटाने, संस्थान हित में किसी भी शर्त में परिर्वतन करने तथा बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय अनुबंन्ध को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
5. पेट्रोल, डीजल, ऑयल आदि (POL) की शुद्वता पेट्रोलियम मत्रांलय द्वारा तय मानकों के अनुसार सही होना चाहिय।

यह सक्षम अधिकारी महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

–हस्ता0–
**(संजय शर्मा)**
सहायक प्रशासनिक अधिकारी(क्रय)

**प्रतिलिपि** :–
1. प्रशासन अनुभाग द्वितीय 2.वित्त एंव लेखा अधिकारी 3.भण्डार अनुभाग
4. प्रभारी वाहन एवं कार्यशाला अनुभाग को उनके पत्र क्रमांक 6–कार्यशाला/पी.ओ.एल./2013/ दिनांक 10.09.2020 के संबंध में प्रेषित कर निवेदन है कि वे पेट्रोल, डीजल, ऑयल आदि का समस्त रिकार्ड वाहन अनुभाग में रखते हुये फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल आवश्यक प्रविष्ठियों एवं खर्चे की स्वीकृति के उपरान्त भुगतान संबंधि आवश्यक अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रशा0 अनु0 द्वितीय को भिजवाने का श्रम करे।
5. प्रभारी एकेएम यूनिट को भेजकर निवेदन है कि कृपया संस्थान वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करे।
6. श्रीमान निदेशक महोदय को सूचनार्थ

Digitally signed by SANJAY SHARMA
Date: Wed Dec 16 10:51:42 IST 2020
Reason: Approved